शिविर का समापन

मनोहरपूर । सामाजिक कार्यों में सक्रिय संस्था फाउंडेशन द्वारा लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे है। इसी कडी में ज्ञानसरोवर स्कूल में नवंबर से लेकर फरवरी तक सिलाई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था जिस में करीब 30 से ऊपर महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसका आज समापन किया गया। यह समापन दीप कोचिंग सेंटर पिपराली रोड में किया गया जिस में महिलाओं को डायरेक्टर एस एन चौधरी भाई सर ने सभी महिलाओं की प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का संस्था का ये बहुत सार्थक प्रयास है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए।

पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के आश्वासन पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन समाप्त

चौमूं / कालाडेरा । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य सरकार के बजट वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र चौमूं में रेनवाल रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर से होकर जंगलात होते हुए कालाडेरा तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 1.20 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई थी। परंतु रिकार्ड रास्ते का कटान ना होने और

■ **गुवारड़ी में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे**

पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने ग्रामीणों के धरने को समाप्त करवाया।

बहाव क्षेत्र होने की वजह से सडक की टेंडर प्रक्रिया रोक दी गई थी। उक्त सड़क निर्माण के लिए ग्राम गुवाड़ी जयसिंहपुरा के ग्रामीणजनों द्वारा पिछले 5 दिनों से धरना दिया जा रहा है। आज ठाम गुवारड़ी धरना स्थल पर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने पहुँचकर ग्रामीणों की समस्या को सुना और इसके पश्चात पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने ग्रामीणों को अवगत करवाया कि उक्त सडक के रिकॉर्ड रास्ते को कटान के अंदर काट कर तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रस्ताव भिजवा दिए गए है। जैसे ही रिकॉर्ड रास्ता जमाबंदी में दर्शाया जाएगा, सडक निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और यदि नदी-नाला बहाव क्षेत्र में किसानो द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में सड़क निर्माण की सहमति दी जाती है तो अधिकारियों द्वारा बनाने का प्रयास किए जायेंगे। इस पर ग्रामीणों ने मेरी बात का समर्थन करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। पूर्व विधायक के सकारात्मक आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर आभार जताया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप जी यादव, तहसीलदार विजयपाल जी, पूर्व सरपंच श्रवण यादव सहित सेकड़ो ग्रामीण मौजूद रहे।

वर्षा जल संचयन पर विचार विमर्श

दौसा। 'वंदे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान के तहत गुरुवार को जलदाय विभाग की ओर से जिला कलक्ट्रेट सभागार में वर्षा जल संचयन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही, विभाग ने उच्च जलाशय, भू तल जलाशय और स्वच्छ जलाशयों का सफाई कार्य करवाया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर रामस्वरूप चौहान ने कहा कि पानी की हर बूंद को बचाने के लिए हमें प्रयास करने होंगे, अन्यथा आने वाले समय में हमें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संठाहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चौहान ने कहा कि आगामी समय में मानसून आने वाला है। ऐसे में हमें पानी की बचत के साथ-साथ हर व्यक्ति को पेड़ लगाने का भी संकल्प लेना चाहिए।

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार सिंह ने वर्षा जल संग्रहण के लिए पीपीटी के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का मॉडल समझाया। विभाग के अधिशासी अभियंता बनवारी लाल मीणा ने विभाग की ओर से आमजन को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल पर विस्तार से बताते हुए कहा कि हमारे पास पीने का पानी सीमित मात्रा में है।

कार्यालय ग्राम पंचायत खेडारानीवास पंचायत समिति कोटखावदा

क्रमांकः- ग्रा.पं./टेण्डर/2025-26/ दिनांक :-

खुली बोली सूचना-01/2024-25

ग्राम पंचायत खेडारानीवास में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्यों को सम्पादित करानें हेतु राजस्थान पंचायतीराज अधीनियम 1996 के नियम 181 के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन संसाधन विभाग / नगर निगम एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित सीलबन्द लिफाफे में खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली शुल्क, अमानत / धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस व बोली विशिष्ठियां का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB No. KHW2526A0008
UBN No. KHW2526WSRC00014
UBN No. KHW2526WSRC00015

श्यामा शर्मा, सरपंच
ग्राम पंचायत खेडारानीवास
पंचायत समिति कोटखावदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

अंचल कार्यालय, बड़ौदा भवन, प्लाट नं. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर 302018, फोन: 0141-2727101

सुनवाई अंतिम नोटिस

श्री योगेश कुमार मीणा, ककूसं. 173491, ग्राहक सेवा सहयोगी (क्लर्क) वर्तमान पदस्थापनाः बैंक ऑफ बड़ौदा, वजीरपुर शाखा, सवाई माधोपुर क्षेत्र, स्थाई पताः 4450, चौकड़ी तोपखाना, मीणों का मौहल्ला, आरएसी लाईन के पास, घाटगेट, जयपुर 302003 (राजस्थान) को सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आदेश सं. सवा.मा.क्षे./सतर्कता/2024-25/सीएस/260-261 दिनांक 20.03.2025 द्वारा विभागीय जांच चल रही है। विभागीय जांच की सुनवाई की निश्चित तारीख 12 मई, 2025, 27 मई, 2025 एवं 10 जून, 2025 की सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा दी गयी थी लेकिन श्री योगेश कुमार मीणा उल्लेखित नियत सुनवाई तारीखों पर अपना बचाव पक्ष रखने हेतु जांच अधिकारी (Enquiry Officer) के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अतः आपको अपना बचाव पक्ष रखने हेतु सुनवाई का एक अंतिम अवसर देते हुए आदेशित किया जाता है कि दिनांक 27 जून, 2025 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होवें। यदि आप उक्त दिनांक 27 जून, 2025 को जांच कार्यवाही में अनुपस्थित रहते है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता (Undersigned) जांच कार्यवाही को आपके विरूद्ध एक पक्षीय (Ex-Parte) घोषित करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

अमरनाथ मीना- जांच अधिकारी (EO)
बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती हीरा कँवर पत्नी श्री प्रभु सिंह नरुका निवासी 19-20 जी-2 शिवधाम-3 के जी एन बाग, हरनाथपुरा स्कीम झोटवाड़ा जयपुर की है। मेरी अभिभाष्या का पुत्र विजय सिंह नरुका मेरी अभिभाष्या के कहने मे नही है, मेरी अभिभाष्या के साथ दुर्व्यवहार करता है। इसलिए मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र विजय सिंह नरुका को उसके आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, भविष्य मे मेरी अभिभाष्या की चल-अचल सम्पत्ति से विजय सिंह नरुका का कोई सम्बन्ध नही रहेगा, उसके द्वारा किये गये किसी भी संव्यवहार की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे ।

जयपुर (सोमेन्द्र सिंह सोलंकी) एडवोकेट
दिनांक-13.06.2025 मो.9251306921

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक-एफ-18/सि.ला.जो./उप/नगिजा है/2025/673 दिनांक-13/6/25

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

भूखण्ड संख्या 38 रामराजपुरा गोविन्दपुरी सोडाला जयपुर का पट्टा क्षेत्रफल 132 व.ग. का दुर्गालाल बोहरा पुत्र श्री रामनिवास बोहरा को किया गया है, श्री दुर्गालाल बोहरा की मृत्यु पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित अण्डरटेकिंग वसीयत बाबत शपथ पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 132 व.ग. का नाम हस्तानान्तरण श्री सुधीर कुमार, अशोक कुमार, दीपक कुमार पुत्रान श्री दुर्गालाल बोहरा के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को इस नाम हस्तानान्तरण बाबत मे आपत्ति के प्रकाशन तिथी से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा की किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म को कोई आक्षेप नही है। और मामले का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

उपायुक्त सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all, that I Dr. Madan Lal Rajoria S/o Chhaju Ram Rajoria being a Legal owner of immovable Property Converted Land of Residential Purpose Situated at Plot No. 18, Shivpuri Shiv Nagar at Khasra No. 7390/2, Khasra No. 7389 at Village Shivpuri, Patwar Halka Manoharpur, Shahpura, Jaipur Total Admeasuring 200 Sq. Yards. (Hereinafter refer as the said properties) That I am willing to finance against the said properties. Have clear and marketable title, interest without any encumbrances. That I has declared Sale deed dated 18.11.2006 Which was Duly Registered for SR-Sahapura, Book No. 1,Volume No. 111 on page 39 Ser. No. 2362/06, Additional Book No. 1, Volume No. 392 Page No. 253 to 261 has been lost and a Found and lost information report LR No. 278909/2/2025 Rajasthan Police Camplaint by me on dated 06.06.2025 and therefore not presented to SBI, ARYA NAGAR, BRANCH ALWAR and also declared that no mortgage, charge, lien, encumbrances, over the said properties against the lost both Sale Deed has been created, Therefore any person, bank, firm, institution etc. having objection against said transaction or they having right, interest, share, claim, charge, lien, relation, encumbrances, agreement, mortgage, hypothecation easements evidence etc., or other rights, claim they should right the undersigned along with documentary evidence within 7 days from the publication of this notice. On failure of the same after expiration of the period of notice, it will be considered that there is no right or claim of any body and if it there they have waived the same and SBI, ARYA NAGAR, BRANCH ALWAR shall finance against the said property. Thereafter no dispute complains of objection will be entertained this may be noted by the concerned. Dr. Madan Lal Rajoria Mob. 7062008994

खोया पाया

मैं सुरेश मण्डल पुत्र स्वर्गीय श्री बृहस्पति मण्डल मेरा लखेल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के दो दुकान के मूल दस्तावेज कहीं खो गए है। दुकान नंबर 39 व 40 भैरव विहार बगरू रामपुरा उती में है। जिस किसी को मिले संपर्क करें- 8003560049

1-घ-32, जवाहर नगर, जयपुर का Handing Over Possession & Decelaration letter जवाहर नगर मार्केट में कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। 8904076198

मेरे मकान सं.32/62 प्रताप नगर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। निरज पारिक- 9727792740

नाम परिवर्तन

मैं मनीष विजय पुत्र लक्ष्मी नारायण विजय निवासी 141, महावीर नगर-1, वार्ड नं. 21 टोंक रोड, जयपुर राजस्थान, 302018 ने अपना नाम मनीष कुमार से बदलकर मनीष विजय कर लिया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये।

मेरे पुराने पासपोर्ट/ 10वीं की अंकतालिका में मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा दर्ज है जो कि गलत हैं। आधार/ पेन कार्ड में मेरा नाम राजेश शर्मा पुत्र श्री चितरमल शर्मा है जो कि सही है। अतः भविष्य में मुझे सही नाम राजेश शर्मा के नाम से जाना जायें। निवास : 72/73, बालाजी ब्लेसिंग फर्स्ट, श्री श्याम वाटिका, कोठोत्या भवन, भांकरोटा, जयपुर

I have changed my name Saleha Aftab W/o Sameer Khan from Swalaheen Aftab. In future I will be known my new name Saleha Aftab W/o Sameer Khan R/o B-52, B-53 Flat No. 501, Tulsi Das Ki Bagichi, Adarsh Nagar, Jawahar Nagar, Jaipur.

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जीएसएस प्रागपुरा में कस्टम हायरिंग सेंटर शुरु

पावटा। ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रागपुरा में केंद्रीय प्रवर्तित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत स्थापित होने जा रहे कस्टम हायरिंग सेंटर शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन विधायक प्रतिनिधि आशीष धनकड के मुख्य आतिथ्य व जीएसएस प्रागपुरा चेयरमैन उपेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता एवं पूर्व सरपंच कैलाश सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन अशोक सैनी, राजेंद्र पारीक, रोहिताश सैनी, गोकुल सैनी, सुरेश सैनी, महिपाल यादव, अशोक यादव, मनोज दांतरता सहित जनप्रतिनिधियो व किसानो के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। इस दौरान समिति व्यवस्थापक कैलाश स्वामी, ऋण पर्यवेषक अजय पारीक, सहा. व्यवस्थापक आनन्दसिंह, स. नरेश सैनी, कृषि पर्यवेक्षक जीतू यादव, रामकरण सैनी, प्रेमप्रकाश सैनी आदि कर्मचारियों ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। चेयरमैन उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि कृषि को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने व कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं धरालत पर उतारी गयी है।

जगन्नाथ जी के मेले की तैयारी

अलवर। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर बीना महावर ने आज मिनी सचिवालय के सभागार में 23 जून से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाले श्री जगन्नाथ जी महाराज के मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्रीमती महावर ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा 4 जुलाई को सांय 6 बजे सुभाष चौक से रूपबास के लिए प्रस्थान करेगी अतः संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को श्री जगन्नाथ जी महाराज मेले के अवसर पर कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मेला आयोजन से पूर्व विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा आयोजन स्थल व रथ यात्रा रूट आदि के लिए व्यवस्थाओं का दौरा करेंगे। उन्होंने नगर निगम, विद्युत विभाग, पुलिस, बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संयुक्त टीम द्वारा रथ यात्रा के निर्धारित मार्ग में अतिक्रमण व आ रहे केबल तारों का चिन्हिकरण कर तुरंत हटवाऐं।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये कि मेला अवधि के दौरान संयुक्त टीम का गठन कर खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता का ध्यान रखे तथा मेला स्थल पर चिकित्सा दल की ड्यूटी लगाये। उन्होने आरयूआईडीपी, सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगर विकास न्यास के अधीशाषी अभियंताओं को निर्देश दिए कि रथ यात्रा मार्ग पर सडक की मरम्मत से संबंधित कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण करायें।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि वे रोड लाईट, मेला स्थल पर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, मेला स्थल पर अस्थाई शौचालय, रोशनी, पार्किंग व्यवस्था, दुकानों का आवंटन, फर्नीचर, माईक आदि की व्यवस्था शीघ्र सम्पन्न करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि मेला स्थल पर बरसाती पानी की निकासी हेतु मड पम्प आदि की व्यवस्था रखे। साथ ही निर्देश दिये कि मेले में लगने वाले झूलों की सुरक्षा संबंधी जांच पूर्व में सुनिश्चित करे।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को मेला अवधि में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने व ढीले तारों को ऊँचा कसवाने, मेला स्थल पर कनिष्ठ अभियन्ता व लाईन मैन की ड्यूटी लगाने, आदि व्यवस्था करने के निर्देश दिये।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि रथ यात्रा और मेला स्थल पर एक एम्बुलेंस मय चिकित्सकीय दल व आवश्यक दवाइयों के साथ मौजूद रहें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि मेला स्थल व रथ यात्रा के समय स्काउट दल की सेवाऐं सुनिश्चित करें। उन्होंने रोडवेज के महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि मेला आयोजन के प्रमुख दिवसों पर यातायात पुलिस से समन्वय कर डाइवर्ट करे। उन्होंने पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक को मेला स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह, एसडीएम अलवर यशार्थ शेखर, डीटीओ प्रवर्तन श्रीमती सविता भारद्वाज, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महेश बैरवा, जयपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियन्ता महेश देसवाल, तहसीलदार श्रीमती रश्मि शर्मा सहित संबंधित अधिकारी व जगन्नाथ मंदिर के महन्त पं. धर्मेन्द्र शर्मा, मेला कमेटी के अध्यक्ष पं. राजेन्द्र शर्मा उपस्थित थे।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

क्रमांक :-4937-47 दिनांक :- 12-06-2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सवाई माधोपुर के थाना सदर गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के द्वारा 38 पुलिस एक्ट में जब्त एवं राजसात किये गये 26 वाहनों को वाहन स्वामी / मालिकों द्वारा निर्धारित अवधि में मुक्त नहीं कराने के कारण जिस स्थिति में है, दिनांक 01.07.2025 को प्रातः 12.00 बजे गठित समिति द्वारा थाना सदर गंगापुर सिटी के परिसर में नीलाम किया जावेगा। अतः इच्छुक खरीद्वार / बोलीदाता को जरिये विज्ञिप्त सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक,
जिला सवाई माधोपुर

पर्यटन नगरी में 'रोडवेज डिपो' खुलवाने के नहीं हुए प्रयास

सांभरझील, (निसं)। सांभर उपखंड मुख्यालय पर रोडवेज डिपो खुलवाने के लिए किसी भी क्षेत्रीय विधायक ने आज तक कोई प्रयास नहीं किए। प्रयाह इसलिए भी नहीं हुए कि कभी आज तक लोकल नेताओं ने कहने की हिम्मत तक नहीं की। यहां पर जयपुर से वाया सांभर होते हुए नागौर तक जाने वाली रोडवेज की एक्सप्रेस बसों का ठहराव स्थल है। सांभर से वाया बंधे बालाजी होते हुए रोडवेज की साधारण बस भी चलती है। श्रीमाधोपुर से चलकर अजमेर जाने वाली रोडवेज बस का भी पांच बत्ती चौराहा पर ठहराव स्थल है। आश्चर्य इस बात का है की रोडवेज बस डिपो अथवा रोडवेज बस स्टैंड के लिए ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त हो रहा है जिससे यह साबित हो सके की जन्प्रतिनिधियों व जिम्मेदार नेताओं ने अपनी भूमिका अदा की हो। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक पर आज तक किसी ने कोई प्रेशर भी नहीं डाला, तो विधायकों की अनदेखी भी साफ परिलक्षित होती है। इसका खामियाजा सांभर की जनता उपखंड के गठन के बाद से ही अनेक समस्याओं को झेलती आ रही है। जहां पर रोडवेज की बसें कुछ अंतराल के लिए ठहरती है वहां पर भी नगर पालिका की ठोस प्रशासनिक कार्य प्रणाली की कमी भी सामने आ रही है। चारों तरफ गंदगी का आलम है। यहां पर उतरने वाली महिला सवारी के लिए पेशाब घर का कोई उचित स्थान नहीं है। जो पेशाब घर बना हुआ है वह पुरुषों के लिए है और केवल उसके अवशेष ही खड़े हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित इंडियन नेशनल कांठोस के तत्कालीन नगर अध्यक्ष स्वर्गीय रामगोपाल टाक के दादाजी बख्तावरमल टाक की ओर से आने वाले मुसाफिरों के लिए विश्राम स्थल बनवाया था जो आज भी मजबूती से खड़ा है। ठहराव स्थल के पास गंदगी का आलम, विश्राम स्थल भी राम भरोसे हैं। देखने से प्रतीत होता है कि इस विश्राम स्थल की भी पालिका प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। रंग रोशन तो दूर सफाई भी माकुल नहीं है। स्थल पर इतनी गंदगी है की कोई वहां बैठना तो दूर खड़ा भी नहीं रह सकता है। यह शर्मसार स्थिति प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि उन जिम्मेदार नेताओं की भी है, लेकिन एक दूसरे की टांग खिंचाई के कारण सांभर में जो विकास से काम होने चाहिए थे वह पूरी तरह से अवरुद्ध है। पालिका प्रशासन कोई ना कोई बहाना बनाकर इसमें ठोस प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने से आज तक पीछे चली आ रही है। बताया जा रहा है कि विवाद के चलते नगर पालिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं तथा यहां के बजाय अन्यत्र किसी दूसरी भूमि पर नया बस स्टैंड बनवाने का प्रस्ताव भिजवाने की चर्चा भी लंबे समय से शांत है। इसके पीछे लोकल लीडरशिप करने वाले नेताओं की क्या मंशा है आम जनता आज तक समझ नहीं पा रही है ।

गौड़ राजकीय अभिभाषक नियुक्त

श्रीमाधोपुर । दिवराला गांव निवासी एडवोकेट भगवत गौड़ को राजस्थान सरकार द्वारा अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पिछले 21 वर्षों से वकालत कर रहे भगवत गौड ने सन् 1993 तक 10 वीं बोर्ड तक की पढ़ाई राजकीय विद्यालय दिवराला से व कक्षा 11-12 तक की पढ़ाई जयपुर जिले के अमरसर के राजकीय विद्यालय से प्राप्त की तथा ठोजुएशन करने 1995 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 2003 तक पढ़ाई की एवं छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे।वर्ष 2010 में जयपुर में अनगिनत जनहित के मुद्दों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें सबसे बड़ी लडाई जलमहल झील को लीज मुक्त करवाने की रही। आरटीआई के विशेषज्ञ वकील भगवत गौड को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं-7 जयपुर महानगर -प्रथम में अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं-7 जयपुर महानगर - प्रथम के पद पर नियुक्ति दी ।

सहायता की मांग

श्रीमाधोपुर। दुर्घटना में श्रीमाधोपुर तहसील के हांसपुर निवासी दो मृतकों के परिजनों से राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ सीकर जिला वीरेंद्र मीणा, तहसील अध्यक्ष जगदीश मीणा से मिले तथा परिजनों को ढांढस बंधवाया। इसके बाद पदाधिकारियों ने श्रीमाधोपुर एसडीएम अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा तथा जिला कलेक्टर को दूरभाष पर चर्चा करके मृतकों के परिजनों को सहायता की मांग रखी। जानकारी मुताबिक दुर्घटना में सुभाष कुमार, शंकर लाल मीणा एवं जितेंद्र प्रजापत की मौत हो गई थी।

बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

भरतपुर (निस)। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान प्रदीप पुत्र मुकेश, निवासी अटलबंद, भरतपुर के रूप में हुई है। मतृक प्रदीप पढाई के साथ साथ हलवाई का काम भी करता था और घटना के दौरान वह बाइक से अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। तभी बांसी के पास एक निजी बस ने गलत दिशा से आकर उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे प्रदीप गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हुआ।

रहागीरों ने घटना की सूचना पुलिस थाने सेवर को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल प्रदीप को इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचाकर भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया, जबकि इसका चालक मौका देखकर फरार हो गया।

सेवर थाने के एएसआई प्रेम सिंह ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और बस मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है।

भरतपुर के सेवर में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे युवक के निजी बस के टक्कर मारने से उसकी मौत हो गई।

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT KISHANPURA, P.S. PALSANA (SIKAR)

No. : Proc./2025-26/22 Notice Inviting Bid Date :13.06.2025

Bids for open tender of various Work are RATE CONTRACT FORWORK INCLUDING DOOR TO DOOR (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL)GARBAGE COLLECTION AND SEPARATION AND ROAD, DRAIN AND CSCCLEANING ALL VILLAGE OF GRAM PANCHAYAT KISHANPURA PSPALSANA DIST SIKAR (RAJ) invited from interested upto 06:00 PM of 23-06-2025 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in and http://eproc.rajasthan.gov.in of state and at Gram Panchayat KISHANPURA office in all working days.

NIB No.: PSP2526A0056 UBN No.:- PSP2526SSRC00055

VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER
GRAM PANCHAYAT Kishanpura
PNCHAYAT SAMITI PALSANA

SARPANCH
GRAM PANCHAYAT Kishanpura
PNCHAYAT SAMITI PALSANA

कार्यालय वसूली अधिकारी- प्रथम

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा -II, किसान भवन के सामने, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अन्तर्गत)
वसूली प्रमाण पत्र संख्या: 153/2020
प्रकरण का उनवान :

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनाम
दीपक कुमार गोयल एवं अन्य

॥ विकय की उद्घोषणा ॥

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 153/2020 जो कि मूल आवेदन संख्या 977/2018 में दिनांक 23.01.2020 को सभी प्रतिवादीगणों के विरूद्ध राशि रुपए: 76,83,941/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किए जाने योग्य है। तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूची में वर्णित बन्धकशुदा संपत्ति को प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किए जाने हेतु आदेशित किया गया हैं।

तथा यह कि वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार दिनांक 21.09.2020 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि रुपए 92,14,871/- एवं भविष्य का ब्याज बकाया हैं।

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित संपत्ति का विकय दिनांक 18.07.2025 को C1 India Pvt. Ltd. कार्यालय 3rd Floor, Plot No. 68, Sector - 44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya 8866682937, Mobile no. + 91 7291891124 /25/26 and Vinod Kumar 8866682931 वैबसाईट www.bankeauctions.com पर 11 AM से 3 PM तक किया जाएगा। दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनट तक यदि कोई बोली नहीं बढ़ाता है तो स्वीकार कर ली जाएगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढा दिया जाएगी। यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की संपत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, का किया जाएगा एवं उक्त संपत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किए गए हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।

संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी स्थिति में है'' के आधार पर किया जाएगा। संपत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गए लॉट के अनुसार किया जाएगा। यदि संपत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष संपत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिए जायगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाणपत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जाएगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हैं, के द्वारा किसी भी रुप में इस संपत्ति के विक्रय में बोली में अथवा संपत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नही लिया जाएगा।

विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्यधीन होगा:-

(1) सलंग्न सूची में दिए गए विवरण अधोह